Instalment of DA to Government employees

59. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give another instalment of Dearness allowance to Government employees and dearness relief to pensioners with effect from July, 1994. and January, 1995;

(b) if so, the details thereof and the additional expenditure that will be incurred per year on this account:

(c) whether the rate of increase in allowances is 10 per cent for employees drawing upto Rs. 3500|- and for pensioners upto Rs. 1750|- and only 7 percent for those drawing above the cut-off level of pay/pensions; and

(d) if so, on what basis the said cut-off limit was fixed and since when these cut-off limits have been in vogue and whether in view of depletion in the purchasing power of the rupee, these limits are proposed to be raised. if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) As per the existing formula relating to grant of Dearness Allowance to Central Government employees, based on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission, additional instalments of Dearness Allowance become due from 1st January and 1st July every year, on the basis of percentage increase in the 12 monthly average of All India Consumer Price Index for Industrial workers (General) (950=100) over the base index of 608= to which existing scales of pay effective from 1-1-1986 are related.

The additional instalment of Dearness Allowance|Dearness Relief due from 1st July, 1994 has already been released. The instalment due from 1st January normally becomes payable with the salary for month of March, paid in April. The annual financial liability on account of additional instalment of D.A./Dearness Relief released from 1st July, 1994, was of the order of Rs. 1127 crores.

The extent of neutralisation admissible to employees falling in different pay slabs is as follows:

Pay Range	Neutralisation
Upto Rs. 3500 p.m.	100%
Above Rs. 3500 and upto Rs. 6000 p.m.	75%
Abobe Rs. 6000 p.m.	65%

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र के एककों को दी गयी सहायता

60. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के लघु उद्योगपतियों के लिये विशिष्ट एकक योजनायें बनाने के लिये परामर्शदाताओं को रखने के लिये विकासशील देशों के साथ हाथ मिलाया है, ताकि उनकी निर्यात क्षमताओं का पता लगाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने एककों को वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास

बैंक द्वारा सीधे सहायता प्रदान की जायेगी और इनमें से प्रत्येक एकक को कुल कितनी धनराशि का ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने महिला उद्यमियों द्वारा उद्योगों को लगाये जाने के लिये एक योजना बनायी है :

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) वर्ष 1995–96 के दौरान महिला उद्यम निधि के अधीन महिला उद्यमियों के लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है ; और

(छ) इस संबंध में क्या-क्या निदेश जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0वी0 चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) से (ग) निर्यात की क्षमता वाले लघु उद्योग (एस.एम.आई.) एककों की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता को देखते हुए, लघु उद्योग क्षेत्र में वर्तमान और भावी निर्यातोन्मुखी एककों के लिए उन्हें परामर्श-दात्री सेवाएं प्रदान करने हेतु बाजार प्रवेश योजना (एन.ई.एस.) लागू करने के लिए डेवेलपिंग कन्ट्रीज ट्रेड एजेंसी (डी.सी.टी.ए.) से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने वार्ता शुरू की थी। शुरू में वर्ष 1994–95 के दौरान 25 लघु उद्योग एककों को कवर किये जाने का प्रस्ताव था।

तथापि, डी.सी.टी.ए. ने बाद मे महसूस किया कि सिडबी के साथ कोई औपचारिक समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसने परामर्शी सेवा प्रदान करने के लिये पहचान किये गये लघु उद्योग एककों के साथ सीधे ही समझौता ज्ञापन (एम. ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। डी.सी.टी.ए. ने सिडबी से केवल एम.ई.एस. के अन्तर्गत तैयार की गयी अपने निर्यात विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जरूरतमन्द एककों को ऋण देने पर विचार करने का अनुरोध किया था। इस प्रकार डी.सी.टी. ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए एककों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) लघु उद्योग क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने के लिये महिला उद्यमियों को इक्विटी जैसी सहायता प्रदान करने के लिये महिला उद्यम निधि (एम.यू.एन.) योजना परिचालित कर रहा है। लघु उद्योग मानदण्डों के अनुसार वित्त के लिये पात्र और महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई लघु उद्योग क्षेत्र की सभी नई औद्योगिक परियोजनाएं और साथ ही साथ सेवा गतिविधियां भी योजना के अन्तर्गत सहायता के लिये पात्र हैं, बशर्ते कि परियोजना की लागत 10 लाख रूपये से अधिक न हो। इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता, परियोजना लागत के अधिकतम 15% के अध्यधीन परियोजना में प्रवर्तकों के अंशदान को ध्यान में रखने के बाद इक्विटी के अन्तराल को पूरा करने के लिए सुलभ ऋण के रूप में है। सुलभ ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है, लेकिन 01 प्रतिशत वार्षिक का मामूली सेवा प्रभार वार्षिक आधार पर देय है। महिला उद्यम निधि के अन्तर्गत सहायता की वापसी अदायगी पांच वर्ष तक के अधिस्थगन सहित 10 वर्षों में करनी होती है।

औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित रोजगार सृजित करने के लिये महिला विकास निधि (एम.वी.एन.) के अन्तर्गत सिडबी स्वैच्छिक एजेंसियों के लिये योजनाएं भी चला रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में या ऋण के रूप में दी जाती है। सिडबी एक विशेष योजना, अर्थात् महिला उद्यमी योजना (डब्ल्यू.ई.एस.) के अन्तर्गत

भी सहायता प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(च) और (छ) चूंकि ये सब असीमित अवधि वाली योजनाएं हैं, इसलिए सभी पात्र प्रस्तावों पर सिडबी द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान सहायता प्रदान की जायेगी और इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान इसके द्वारा कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र का पुनर्गठन

61. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित अध्ययन में यह स्वीकार किया गया है कि इस क्षेत्र में सुधारों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय समायोजन की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन के संबंध में अन्य कौन-सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे किसी अध्ययन का प्रायोजन नहीं किया है। अलबत्ता, वित्त मंत्रालय ने श्री डी. खटखरे को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था जो इस समय परीक्षणाधीन है।

Manipulation of law by Foreign Banks

62. SHRI M. A. BABY:
SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign banks are still indulging in manipulation of law of the land with regard to Vostro accounts and siphoning off hundreds of crores of rupees every month;

(b) if so, how many such cases have been detected: and

(c) the action taken in those cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Enforcement Directorate has intimated that during the period December 1992 to May 1993, it had investigated 40 illegal transactions through various banks involving a total amount of Rs. 77.9 crores in which non-convertible Rupee funds emnating from the Bank for Foreign Economic Affairs of the erstwhile U.S.S.R. were credited to the Vostro A|cs of various foreign banks held with banks in India. All these transactions pertained to the period January, 1991 to September, 1992. After completion of investigations Show Cause Notices have been issued to the banks concerned and their officers during the period June, 1993 to February, 1994. Also sanction to prosecute has been issued under Section 56 of F.E.R.A., 1973 in respect of all these transactions.

Enforcement Directorate has further intimated that in December, 1994 certain documents seized by C.B.I., Bombay in August, 1994 in connection with an investigation being conducted by them in another matter were handed over to the Enforcement Directorate. These documents have